

GOVT. OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
HOME DEPARTMENT/DOP BRANCH
5TH LEVEL, C WING, DELHI SECRETARIAT
I.P. ESTATE, NEW DELHI-110002

No. F.11/57/2018/PQAAQ/DOP/Home/ 548

Dated: 30/12/2021

To

Deputy Secretary (Question Cell),
Delhi Legislative Assembly,
Govt. of NCT of Delhi,
Old Secretariat, Delhi-110054.

Sub: - Vidhan Sabha Un-Starred Question No.72 raised by Sh. Bhupinder Singh Joon, MLA
Delhi Vidhan Sabha, to be replied on 03.01.2022.

Sir,

With reference to your letter F.11(B-1)VI/2020-25/VSS/QC/222 dated 24.12.2021, please
find enclosed herewith 100 sets of reply of Un-Starred Vidhan Sabha Question No. 72 raised by
Sh. Bhupinder Singh Joon, MLA Delhi Vidhan Sabha, to be replied on 03.01.2022, for necessary
action please.

This issues with the prior approval of Hon'ble Minister for Home, GNCTD.

Yours faithfully,

(LACHHMAN)

SECTION OFFICER (HOME/DOP)
GOVT. OF NCT OF DELHI.

Encl: As above.

विभाग का नाम : गृह विभाग
विभाग का पता: 5 वा तल , सी 'विंग' दिल्ली सचिवालय


अतारांकित प्रश्न संख्या : 72

दिनांक : 03.01.2022

प्रश्नकर्ता का नाम : श्री भूपिंदर सिंह जून

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :- श्री सत्येंद्र जैन , गृह मंत्री

प्रश्न	उत्तर
(क) दिल्ली में विगत तीन वर्षों के दौरान हत्या और बलात्कार के मामलों में दोषसिद्धि दर क्या है?	विगत 3 वर्षों में हत्या के मुकदमों की दोषसिद्धि दर 44.85% व बलात्कार के मुकदमों की दोषसिद्धि दर 12.76% पाई गई।
(ख) क्या किसी लोक अभियोजक या जांच अधिकारी के विरुद्ध लापरवाही और उपेक्षापूर्ण अभियोजन तथा खराब और मिथ्या जांच हेतु कोई कार्रवाई की गई है।	विगत 3 वर्षों में 4 मुकदमों में लोक अभियोजकों और 131 मुकदमों में जांच अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की सिफारिश की गई।
(ग) पिछले तीन वर्षों में हत्या और बलात्कार के कितने मामलों में दोषमुक्त किए जाने के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील दायर की गई है।	विगत 3 वर्षों में हत्या के मुकदमों में दोषमुक्त किए जाने के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय में अपील किए गए मुकदमों की संख्या 84 व बलात्कार के मुकदमों में दोषमुक्त किए जाने के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय में अपील किए गए मुकदमों की संख्या 219 है।
(घ) क्या लोक अभियोजकों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट न्यायालय में उनके कार्य निष्पादन पर निर्भर करती है और	लोक अभियोजकों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट सम्पूर्ण प्रदर्शन के आधार पर मूल्यांकित की जाती है।
(ङ) क्या अदालत में उत्कृष्ट वार्षिक कार्य निष्पादन के लिए किसी लोक अभियोजक को सम्मानित किया गया है?	प्रचलित कार्यालय प्रक्रिया के अनुसार ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।


हस्ताक्षर

(विक्रम देव दत्त)
प्रधान सचिव (गृह)